प्रेस विज्ञप्ति

10/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू), सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी कमीशन एजेंटों अभिषेक गुप्ता, हिमांशु शर्मा और अजय कुमार की 1.74 करोड़ रुपये (बिक्री विलेख मूल्य के अनुसार) मूल्य की सात अचल संपत्तियों को अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये सात अचल संपत्तियां बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित हैं।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन स्थित धरमपुर पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी राज कुमार राणा, अध्यक्ष, मानव भारती विश्वविद्यालय (एमबीयू), सोलन, विभिन्न कमीशन एजेंटों सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एमबीयू के नाम पर जारी की गई फर्जी डिग्रियों की बड़े पैमाने पर बिक्री में शामिल थे। कमीशन एजेंटों ने फर्जी डिग्रियों के संभावित खरीदारों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित कराकर इस रैकेट में अहम भूमिका निभाई। बदले में, उन्हें फर्जी डिग्रियों की अवैध बिक्री से प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था। फर्जी डिग्रियों की इस बिक्री से उत्पन्न पीओसी 387 करोड़ रुपये आंकी गई है। बाद में इस अवैध आय का उपयोग राज कुमार राणा और उनके सहयोगियों, जिनमें कमीशन एजेंट भी शामिल थे, ने कई राज्यों में विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राज कुमार राणा और विभिन्न कमीशन एजेंटों सहित 14 व्यक्तियों और 02 संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की थी। माननीय विशेष न्यायालय, शिमला ने 04.01.2023 को इस पीसी का संज्ञान लिया था।

इस मामले में इससे पहले, ईडी ने 29.01.2021 को 194.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस अनंतिम कुर्की आदेश की बाद में माननीय निर्णायक प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा पुष्टि की गई थी। इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 10.01.2025 को 5.8 करोड़ रुपये मूल्य की सात अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि पीएमएलए के माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा भी की गई है।

अतः, इस मामले में वर्तमान में कुर्की की गई कुल संपत्ति लगभग 202 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।